National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2026; 1(67): 24 -28
© 2026 NJHSR
www.sanskritarticle.com

स्फूर्ति त्रिपाठी
शोधछात्रा, शिक्षाशास्त्र संकाय,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत-विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

शोधनिर्देशक
प्रो. रचना वर्मा मोहन
प्रोफेसर,शिक्षाशास्त्र संकाय,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत-विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

Correspondence:
स्फूर्ति त्रिपाठी
शोधछात्रा, शिक्षाशास्त्र संकाय,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत-विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

शिक्षा और मानवाधिकार का संबंध : एक विश्लेषण

स्फूर्ति त्रिपाठी , प्रो. रचना वर्मा मोहन

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र **"शिक्षा और मानवाधिकार का संबंध : एक विश्लेषण"** विषय पर आधारित है। इसमें शिक्षा एवं मानवाधिकार के पारस्परिक संबंध, उनके औचित्य तथा सामाजिक प्रभावों का विवेचन किया गया है। शिक्षा का स्वरुप, मानवाधिकार की अवधारणा, शिक्षा और मानवाधिकार का सम्बन्ध, शिक्षा और मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियाँ, शिक्षा और मानवाधिकार को सुदृढ़ करने के उपाय आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किये गये हैं । प्रस्तुत पत्र में विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उल्लिखित सभी अधिकार मानव जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समग्र विकास के आधार हैं। जीवन का अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है, समानता का अधिकार सामाजिक न्याय स्थापित करता है, शिक्षा का अधिकार जागरूकता प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है, धार्मिक स्वातंत्र्य एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करते हैं। इन सभी अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

मुख्य शब्द : शिक्षा, मानवाधिकार, समानता, बन्धुत्व, अहिंसा ।

प्रस्तावना

मानव जीवन के विकास में शिक्षा और मानवाधिकार दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान, विवेक एवं नैतिक चेतना से युक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा सुनिश्चित होती है । आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा और मानवाधिकार को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। शिक्षा मानवाधिकारों की समझ विकसित करती है तथा मानवाधिकार शिक्षा को सार्थक एवं मानवीय बनाते हैं। सम्प्रति वैश्विक स्तर पर यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि शिक्षा स्वयं एक मौलिक मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 26 में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान में भी शिक्षा, समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अस्तु शिक्षा और मानवाधिकार के संबंध के मध्य अन्योऽन्याश्रयता स्पष्ट दृष्टिगम्य होती है।

शिक्षा का स्वरूप

अर्वाचीन मान्यता के अनुसार शिक्षा एक सतत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका मूल स्वरूप भारतीय प्राच्य ज्ञान परम्परा के द्वारा ज्ञेय एवं सम्बोध्य है जो प्रत्येक मानव जीवन को उनके अधिकार और चेतना के स्तर पर नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सद्भावनापूर्ण सद्विवेकयुक्त उत्तरदायित्ववान एवं उत्तम नागरिक का निर्माण करती है । भारतीय परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अज्ञान से मुक्त कराके सन्मार्ग एवं विवेक की ओर अग्रसर करना है। शास्त्रोपदेश यथा - **"सा विद्या या विमुक्तये"** के अनुसार शिक्षा का स्वरूप वही कहा जा सकता है जो प्रत्येक नकारात्मक एवं बंधनकारी दुराग्रहों एवं दुर्भावों से सर्वथा विमुक्त कर नीर-क्षीरविवेक रूप प्रज्ञा से समन्वित करती हुई आत्मोपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करती हो।

मानवाधिकार की अवधारणा

मानवाधिकार ऐसे सार्वभौमिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना तथा उसे भय, शोषण एवं अन्याय से मुक्त जीवन प्रदान करना है। मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि मानवाधिकार के वे मूल अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति एक दायित्ववान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

मानवाधिकारों में निम्न अधिकार प्रमुख हैं-

जीवन का अधिकार

जीवन का अधिकार मानव का सबसे मूलभूत एवं महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा एवं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार भी है। प्रत्येक व्यक्ति को भय, हिंसा, शोषण एवं अन्याय से मुक्त जीवन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, भोजन, आवास एवं सुरक्षित जीवन जैसे तत्व भी सम्मिलित माने जाते हैं। जीवन के अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होता है, तो यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार मानवाधिकारों का आधारभूत सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर एवं सम्मान प्राप्त हों। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, जन्मस्थान अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, सार्वजनिक अवसरों में समानता तथा अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। समानता का अधिकार सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। यह समाज में समरसता एवं बंधुत्व की भावना विकसित करने में सहायक होता है।

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास का आधार है जो व्यक्ति को ज्ञान, विवेक एवं जागरूकता प्रदान करता है तथा उसे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक रूप से सशक्त बनता है। शिक्षा का अधिकार विद्यालय में प्रवेश तक सीमित मात्र नहीं है अपितु गुणवत्तापूर्ण, समान एवं सम्मानजनक शिक्षा प्राप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा मानवाधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक प्रगति का सबसे प्रभावशाली माध्यम व आधार है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, मत एवं भावनाएँ स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह लोकतांत्रिक समाज का मूल आधार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत व्यक्ति बोलकर, लिखकर, चित्रों, कला, साहित्य अथवा अन्य माध्यमों से अपने विचार प्रकट करने में स्वतन्त्र है। सुसंयमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के बौद्धिक विकास एवं सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। यह समाज में विचार-विमर्श, आलोचना एवं सुधार की प्रक्रिया को सशक्त बनाती है परन्तु यह स्वतंत्रता समाज की शांति, सुरक्षा एवं नैतिकता के अधीन होती है।

धार्मिक स्वतंत्रता

धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति पर किसी विशेष धर्म को अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वैश्विक धरातल पर भारत एकमात्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में कल्पित है जो किसी को भी किसी धर्म को मानने या न मानने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता से समाज में सहिष्णुता, परस्पर सम्मान एवं शांति की भावना विकसित होती है, ऐसा कहा गया है, विविधता में एकता की संस्कृति को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की गयी है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार व्यक्ति की पहचान, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा से संबंधित हैं जो प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं परंपराओं को सुरक्षित रखने हेतु अधिकृत करता का है। इन अधिकारों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों की सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना बताया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समाज में आत्मसम्मान, सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के रूप में इंगित हैं। इन अधिकारों को मानव सभ्यता के विविधता एवं सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कहा गया हैं। मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य मानव को सम्मानपूर्ण एवं भयमुक्त जीवन प्रदान करना है।

शिक्षा और मानवाधिकार का संबंध

निम्नवत द्रष्टव्य हैं -

1. शिक्षा स्वयं एक मानवाधिकार है

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने अन्य अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता इसलिए शिक्षा मानवाधिकारों की आधारशिला मानी गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारतीय संविधान दोनों ने शिक्षा को मानव विकास का आवश्यक साधन माना है।

2. शिक्षा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है

शिक्षा व्यक्ति को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक अन्याय, शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम होता है।मानवाधिकार शिक्षा को व्यक्ति में न्याय, समानता एवं सहिष्णुता की भावना विकसित करने वाली कहा गया है।

3. मानवाधिकार शिक्षा को मानवीय बनाते हैं

यदि शिक्षा में मानवाधिकार मूल्यों का समावेश न हो तो शिक्षा केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित रह जाती है। मानवाधिकार शिक्षा में संवेदनशीलता, नैतिकता एवं मानवीय दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। इससे शिक्षा व्यक्ति को केवल योग्य कर्मचारी नहीं, बल्कि उत्तरदायी नागरिक बनाती है।

4. समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना

मानवाधिकार और शिक्षा दोनों समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज में जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से समाज में सभी वर्गों एवं लिंग भेद के बिना सभी स्त्री पुरुषों की समुचित शिक्षा व्यस्था सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5. लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास

लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक आवश्यक हैं। शिक्षा मानवाधिकारों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना विकसित करती है। इस प्रकार शिक्षा लोकतांत्रिक संस्कृति को सुदृढ बना सकती है।

6. शोषण एवं हिंसा पर नियंत्रण

मानवाधिकार आधारित शिक्षा बालश्रम, लैंगिक भेदभाव, हिंसा एवं सामाजिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों सहित अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, तब वह अन्याय का विरोध करने में सक्षम बन सकता है।

7. वैश्विक शांति एवं सह-अस्तित्व

मानवाधिकार शिक्षा विश्वबंधुत्व एवं सह-अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है। यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं धर्मों के प्रति सम्मान विकसित करती है। आज के वैश्विक युग में शिक्षा, आचरण, नैतिकता, कर्तव्य और मानवाधिकार विश्वशांति के लिए आवश्यक हो सकते हैं।भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता एवं शिक्षा के अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समावेशी शिक्षा, नैतिक मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में **"वसुधैव कुटुम्बकम्", "सर्वे भवन्तु सुखिनः"** एवं **"अहिंसा"**‡ जैसे आदर्श मानवाधिकार मूल्यों के प्रतीक हैं।

शिक्षा एवं मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियाँ

निम्नवत ध्यातव्य है -

1.शिक्षा में आर्थिक असमानता

आर्थिक असमानता शिक्षा एवं मानवाधिकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। समाज में अनेक परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। निर्धन वर्ग के बच्चों को विद्यालयी शुल्क, पुस्तकें, गणवेश, परिवहन तथा तकनीकी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। शहरी एवं निजी विद्यालयों की तुलना में गरीब एवं ग्रामीण वर्ग के विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इससे शिक्षा में असमानता उत्पन्न होती है, जो मानवाधिकार के समानता सिद्धांत के विपरीत है। आर्थिक विषमता सामाजिक न्याय एवं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है।

2.ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव

भारत के अनेक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की उपलब्धता का अभाव है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, शिक्षकों में स्वकर्तव्य निर्वहन का अभाव, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं का छात्रहित में उपेक्षित रह जाना तथा यातायात की समस्याएँ ग्रामीण शिक्षा को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण है। कई स्थानों पर विद्यालयों की दूरी एवं सामाजिक असुरक्षा की दुर्व्यवस्था के कारण बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव मानवाधिकारों की समान उपलब्धता में बाधा उत्पन्न करता है।

3.बालश्रम

शिक्षा और मानवाधिकार दोनों के लिए बालश्रम गंभीर चुनौती हैं। आर्थिक कठिनाइयों तथा सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण कम आयु में ही श्रम करने के लिए अनेक बच्चों को बाध्य होना पड़ता है। इससे उनका शैक्षणिक जीवन दुष्प्रभावित एवं संकटापन्न हो जाता है।

4.लैंगिक भेदभाव

शिक्षा व्यवस्था में आज भी लैंगिक असमानता एक गंभीर समस्या है। समाज के अनेक क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के बीच शिक्षा के अवसरों में अंतर दिखाई देता है। विद्यालयों में भी कभी-कभी लैंगिक पूर्वाग्रह, असुरक्षा एवं संसाधनों की कमी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है। मानवाधिकार समानता एवं सम्मान पर आधारित हैं, इसलिए लैंगिक भेदभाव शिक्षा के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है।

5.विद्यालयों में हिंसा एवं उत्पीड़न

विद्यालयों में शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, रैगिंग, बुलिंग तथा लैंगिक हिंसा जैसी समस्याएँ विद्यार्थियों के मानसिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। भय एवं असुरक्षा का वातावरण शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर देता है। कई बार शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अनुचित व्यवहार या सहपाठियों द्वारा उपहास एवं हिंसा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इससे विद्यार्थियों में तनाव, अवसाद तथा शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। मानवाधिकार आधारित शिक्षा का उद्देश्य सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है, अतः विद्यालयों में हिंसा मानवाधिकारों के विपरीत है।

6.नैतिक मूल्यों का ह्रास

शिक्षा में नैतिक मूल्यों का ह्रास आधुनिक भौतिकवादी जीवनशैली एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति के कारण देखा जा रहा है। सम्प्रति शिक्षा का उद्देश्य मात्र रोजगार प्राप्ति तक सीमित होता जा रहा है जो चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास की उपेक्षा में कारणीभूत है। सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, सहयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्य धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता एवं अनैतिक व्यवहार की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। मानवाधिकार शिक्षा का आधार नैतिकता एवं मानवीय संवेदनशीलता है जो प्राय: वर्तमान सापेक्ष दृष्टिगम्य नहीं है, अतः नैतिक मूल्यों का ह्रास,शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी सुसभ्य नागरिक के निर्माण में प्रतिबंधक के रूप में चिंतनीय एवं ध्यातव्य है।

7.मानवाधिकार-जागरूकता की कमी

समाज के अनेक वर्गों में प्रायः आज भी मानवाधिकारों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है फलतः लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों मे मानवाधिकार शिक्षा का अभाव अधिक दिखाई देता है। मानवाधिकार जागरूकता की कमी के कारण लोग शोषण, भेदभाव एवं अन्याय का विरोध नहीं कर पाते। विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में भी मानवाधिकार शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पाती। अतः मानवाधिकार जागरूकता का अभाव शिक्षा एवं सामाजिक विकास दोनों के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है।

शिक्षा और मानवाधिकार को सुदृढ़ करने के उपाय

शिक्षा और मानवाधिकार को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय निम्नवत हैं -

1.विद्यालयी पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा का समावेश

शिक्षा और मानवाधिकार को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा को समुचित स्थान दिया जाए। विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सहिष्णुता, बंधुत्व तथा मानव गरिमा जैसे मूल्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों, चर्चाओं, नाटकों, समूह कार्यों एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकार मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता तथा उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होगी। मानवाधिकार शिक्षा विद्यार्थियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है तथा उन्हें लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करती है।

2.शिक्षकों को मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण

शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख आधार होते हैं। यदि शिक्षक स्वयं मानवाधिकार मूल्यों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील होंगे, तभी वे विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास कर सकेंगे। इसलिए शिक्षकों को मानवाधिकार संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकार, लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा, संवैधानिक मूल्य तथा नैतिक शिक्षण विधियों की जानकारी दी जानी चाहिए। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने में सक्षम होंगे।मानवाधिकार प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में सकारात्मक एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।

3.समावेशी एवं समान शिक्षा व्यवस्था

समावेशी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति अथवा शारीरिक अक्षमता के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक समरसता, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है।

4.समाज के सभी वर्गों एवं लिंगों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षार्थ प्रोत्साहन

समाज में शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्थानों पर आज भी बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को शिक्षा के अवसर पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में सरकार, समाज एवं शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि वे सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, पोषण योजनाएँ, जागरूकता अभियान तथा विशेष सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है।

5.विद्यालयों में सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण

विद्यालय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख केंद्र होता है। इसलिए विद्यालयों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित एवं स्वतंत्र अनुभव करे।

सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण एवं कर्तव्यनिष्ठ की उदात्तभावना का सम्प्रेषण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता एवं अधिगम की रुचि को बढ़ाता है। यह कर्तव्यनिष्ठापूर्ण मानवाधिकार आधारित शिक्षा का मूल आधार है।

6.मूल्यपरक शिक्षा पर बल

आधुनिक शिक्षा में केवल तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करना भी होना चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा विद्यार्थियों को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करती है तथा उन्हें समाजोपयोगी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, सेवा, परोपकार एवं "वसुधैव कुटुम्बकम्" जैसे आदर्श मूल्यपरक शिक्षा के महत्वपूर्ण आधार हैं। जब शिक्षा नैतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब मानवाधिकारों की रक्षा अधिक प्रभावी रूप से संभव होती है।

7.समाज में मानवाधिकार जागरूकता अभियान

मानवाधिकारों की सफलता के लिए समाज में व्यापक जागरूकता आवश्यक है। यदि लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो मानवाधिकारों का संरक्षण संभव नहीं हो सकेगा। सरकार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं मीडिया को मिलकर मानवाधिकार जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता अधिक है। इससे समाज में समानता, न्याय एवं मानवीय संवेदनशीलता का विकास होगा।

निष्कर्ष

शिक्षा और मानवाधिकार का संबंध अत्यंत घनिष्ठ एवं परस्पर पूरक है। शिक्षा मानवाधिकारों की समझ विकसित करती है तथा मानवाधिकार शिक्षा को मानवीय एवं न्यायपूर्ण बनाते हैं। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है। आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार की असमानताओं, हिंसा एवं नैतिक संकटों से जूझ रहा है, तब शिक्षा और मानवाधिकार का समन्वय अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अतः शिक्षा एवं मानवाधिकार का संबंध मात्र सैद्धांतिक ही नहीं, अपितु सामाजिक विकास एवं मानव कल्याण की आधारशिला हो सकती है। अस्तु, कहा जा सकता है कि सभी अधिकार मानव जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समग्र विकास के आधार हैं। जीवन का अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है, समानता का अधिकार सामाजिक न्याय स्थापित करता है, शिक्षा का अधिकार जागरूकता प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है, धार्मिक स्वातंत्र्य सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करते हैं। इन सभी अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1.अग्रवाल, जे.सी. (2009) भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली (पृष्ठ सं.52-58)

2.कश्यप, एस.सी. (2011) मानवाधिकार और भारतीय संविधान, यूनिवर्सल ला पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली (पृष्ठ सं.72-80)

3.गुप्ता, एस. एवं अग्रवाल जे.सी. (2014) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, शिप्रा प्रकाशन नई दिल्ली (पृष्ठ सं. 48-62)

4.दुबे, यस.सी. (2010) भारतीय समाज और शिक्षा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (पृष्ठ सं.128-135)

5.लाल, रमन बिहारी (1991) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ (पृष्ठ सं. 532-540)

6.शर्मा, आर.एन. (2012) शिक्षा एवं मानवाधिकार, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ (पृष्ठ सं. 55-84)

7.सिंह, बी. एन. (2014) मानवाधिकार : सिद्धांत एवं व्यवहार, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (पृष्ठ सं.66-98)

8.Human Rights Education Framework, (2011) UNESCO Publishing, Paris: (p.no.18–41).

9.National Education Policy (2020), Ministry of Education, New Delhi (p.no.5–38).

10.Universal Declaration of Human Rights (1948), United Nations Publications, New York (p.no 1–14).

11. https://egyankosh.ac.in 16/05/2026

12. https:// researchgate.net 16/05/2026

13. https://www.sciencedirect.com 16/05/2026

14. https://study.com 16/05/2026

15. https://www.unesco.org 16/05/2026

16. https://www.researchgate.net/publication/378035573_surastra_kalpana_mem_yogangarupa_yama-niyama_Ki_visista_bhumika_vasisthasanhita_ke_aloka_mempg-5